भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3411

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

असम में एमएसएमई क्लस्टर विकास परियोजना

3411. **श्री अमरसिंग टिस्सो:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्लस्टर विकास परियोजनाएं, सामान्य सुविधा केन्द्र या पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति) क्लस्टर को मंजूरी दी गई है;

(ख) आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त जिलों में अदरक, हल्दी और अगरवुड प्रसंस्करण इकाइयों सहित कृषि आधारित और वन आधारित एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) दिनांक 30.09.2022 तक जारी थी, इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत किसी भी नए क्लस्टर को मंजूरी नहीं दी गई है। तथापि, कृषि आधारित और वन आधारित एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार की प्रतिबद्ध ₹358.82 लाख की सहायता के साथ कार्बी आंगलोंग जिले में लुंबाजोंग जिंजर और टर्मेरिक क्लस्टर को मंजूरी दी गई है, जिसमें से ₹351.57 लाख जारी और उपयोग किए जा चुके हैं। दिमा हसाओ जिले में स्फूर्ति स्कीम अथवा एमएसई-क्लस्टर विकास स्कीम के अंतर्गत कोई भी क्लस्टर स्वीकृत नहीं किया गया है।

स्फूर्ति के अंतर्गत, कारीगरों और किसानों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने, उत्पादकता में सुधार करने और बाजार संपर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से सॉफ्ट इंटरवेंशन की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से क्लस्टरों को सहायता प्रदान की जाती है। इन हस्तक्षेपों में सामान्य जागरूकता कार्यक्रम; कौशल विकास और क्षमता निर्माण; और मशीन प्रचालन और रखरखाव प्रशिक्षण शामिल हैं। संस्था विकास, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग, विगोपन दौरा, डिज़ाइन और उत्पाद विकास, तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन पर सेमिनार, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

*****